

प्रेषक,

आर० पी० सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 12 अप्रैल 2022

विषय- पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी० 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी० 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रेल/41878/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/07/118/2021/एफसी/719 दिनांक 04.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2786/11-सी/एफपी/यूपी/रेल/41878/2019 दिनांक 31.03.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 31.03.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव